

प्रपत्र - 5

देखें नियम 59 (1)(ग) और 61(1)

सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारी से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ माह पहले कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विवरण ।

1. नाम:
2. (क) जन्म तिथि:
(ख) सेवानिवृत्ति की तारीख:
3. # राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित हस्ताक्षर के दो नमूने (अलग शीट पर प्रस्तुत करें)
4. ## पत्नी अथवा पति के साथ पासपोर्ट आकार के तीन संयुक्त फोटोग्राफ (जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाएं)
5. % राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा यथाप्रमाणित कद और वैयक्तिक पहचान चिह्न के विवरण दर्शाने वाली दो पर्चियाँ
6. वर्तमान पता:
7. \$ सेवानिवृत्ति के बाद पता:
8. कोष अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा अथवा वेतन एवं लेखा कार्यालय का नाम जिसके द्वारा पेंशन लेनी है । बैंक खाता संख्या:
9. %% फार्म 3 में परिवार का विवरण:
10. कृपया बताएं कि क्या परिवार पेंशन किसी अन्य स्रोत- मिलिट्री अथवा राज्य सरकार और/अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि से ग्राह्य है:

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पदनाम:

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

जारी...2/-

- # ऐसा व्यक्ति जो अपना नाम नहीं लिख सकता है, अपने बाएं हाथ के अंगूठे और अंगूली के छाप की यथावत् हस्ताक्षरित दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें। यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी जो शारीरिक विकलांगता के कारण अपने बाएं हाथ के अंगूठे और अंगूली की छाप देने में असमर्थ हैं, दाएं हाथ के अंगूठे और अंगूली की छाप दे सकता है और यदि सरकारी कर्मचारी के दोनों ही हाथ नहीं हैं तो वह अपने पांव के अंगूठे की छाप दे सकता है। यह छाप राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित होनी चाहिए।
- ## केवल स्वयं के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की 2 प्रतियाँ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:
- (I) यदि सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम, 54 द्वारा विनियमित है और अविवाहित अथवा विधुर अथवा विधवा है।
- (II) यदि सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 1972 के नियम, 55 द्वारा विनियमित है।
- यदि सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी पत्नी अथवा अपने पति के साथ फोटोग्राफ प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो वह अपने फोटोग्राफ अलग से प्रस्तुत कर सकता/सकती है। फोटोग्राफ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
- % कुछ स्पष्ट निशानों का उल्लेख करें, यदि संभव हो सके तो कम से कम दो का हो।
- %% यह वहाँ लागू होगा, जहाँ केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम, 54 सरकारी कर्मचारी पर लागू होता हो।
- \$ बाद में पते में परिवर्तन की सूचना कार्यालयाध्यक्ष को दी जानी चाहिए।